

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला सामान्य शाखा)

आदेश

शाखा प्रबंधक युनियन बैंक, चौथम एवं गौछारी जिला खगड़िया से प्राप्त पत्र एवं आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47(1) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं०-IV-16/2018 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-09 पर दिनांक 07.05.2019 को पारित आदेश के आलोक में शाखा प्रबंधक युनियन बैंक, चौथम एवं गौछारी के पदनाम से निर्गत क्रमशः शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1990 (चौथम थाना) पर धारित शस्त्र संख्या-SV-8900686 एवं अनुज्ञप्ति संख्या-01/1990 (गोगरी थाना) पर धारित शस्त्र संख्या- SV-8900950 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। तथा उस पर धारित को मॉर्डन गण हाउस, मुंगेर में बिक्री करने का आदेश दिया जाता है।

शाखा प्रबंधक, युनियन बैंक, चौथम एवं गौछारी जिला-खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने शस्त्र को मॉर्डन गण हाउस, मुंगेर में बिक्री करना सुनिश्चित करेंगे, शस्त्र बिक्री के पश्चात शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को मूल में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

६०/-

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

- ज्ञापांक IV-16/2018.....341...../जी०, दिनांक...16/05/2019
- प्रतिलिपि : शाखा प्रबंधक, युनियन बैंक, चौथम एवं गौछारी जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मॉर्डन गण हाउस, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, चौथम/महेशखूंट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

myu
16/5/19

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।